



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण  
राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण  
प्रकटीकरण विवरण

2009 - 2010


(राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005  
की धारा 5, 6 और 7 के अन्तर्गत)

## प्राक्कथन

राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 एवं उक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2006, क्रमशः 3 मई, 2005 तथा 4 फरवरी, 2006 से प्रभावशील हैं।

अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 और सहपठित नियम 3, 4 एवं 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं की अनुपालना में विधान सभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

26 फरवरी, 2009

  
अशोक गहलोत  
मुख्यमंत्री

## I प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

1. राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी, राजवित्तीय स्थिरता व संगत, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय सक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यमकालिक राजवित्तीय रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके राजवित्तीय प्रबंधन और राजवित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 लागू किया गया है जो 3 मई, 2005 से प्रभावशील है।
2. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट के साथ निम्नलिखित दो विवरण पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं : (1) मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण और (2) राजवित्तीय नीति युक्त विवरण।
3. मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में, अन्तर्निहित धारणाओं के स्पष्ट प्रतिपादन सहित राज्य सरकार के राजवित्तीय उद्देश्य और कार्यनीति संबंधी प्राथमिकताएं उपवर्णित होंगी।
4. विशिष्टतया और उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित से संबंधित सहनीयता कर निर्धारण सम्मिलित होगा :—
  - (क) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन ;
  - (ख) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग ;
  - (ग) आगामी दस वर्षों के लिए जीवनांकिक आधार पर संगणित वार्षिक पेंशन दायित्व :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वित्तीय वर्षों की कालावधि के लिए पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।
5. राजवित्तीय नीति युक्त विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा :—
  - (क) राजस्व प्राप्तियों, व्यय, उधार और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों, उधार देने और विनिधान, लोक माल/सेवाओं पर उपयोक्ता प्रभार और अन्य क्रियाकलापों जैसे पब्लिक सैक्टर उपक्रमों की प्रत्याभूतियां और क्रियाकलाप, जिनकी संभावी बजटीय विवक्षाएं हैं, के वर्णन से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजवित्तीय नीतियां ;
  - (ख) राजवित्तीय क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की कार्य-नीति संबंधी प्राथमिकताएं ;
  - (ग) राजस्व प्राप्तियों, सहायिकी, व्यय, प्रशासित मूल्य-निर्धारण, उधारों और प्रत्याभूतियों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों से संबंधित राजवित्तीय उपायों को सम्मिलित करते हुए अन्य दायित्वों से संबंधित राजवित्तीय उपायों में किसी मुख्य विचलन के लिए मुख्य राजवित्तीय उपाय और मूलाधार ;

(घ) एक मूल्यांकन कि राज्य सरकार की चालू नीतियां धारा 4 में उपवर्णित राजवित्तीय प्रबन्ध सिद्धान्तों और मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति योजना में उपवर्णित राजवित्तीय उद्देश्यों के किस प्रकार अनुरूप हैं।

6. अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

- राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली 4 वित्तीय वर्षों की कालावधि के भीतर राजस्व घाटे को, राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में 3 प्रतिशत की औसत वार्षिक कमी का मार्ग अपनाते हुए, घटाकर शून्य करेगी ;
- राज्य सरकार राजवित्तीय घाटे को, राजवित्तीय घाटे के प्राक्कलित सकल राज्य देशी उत्पाद के अनुपात में 0.4 प्रतिशत की न्यूनतम औसत वार्षिक कमी का मार्ग अपनाते हुए, घटाकर 3 प्रतिशत करेगी ;
- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वर्ष में लोक लेखा को अपवर्जित करते हुए कुल बकाया ऋण और जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूतियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर राज्य की संचित निधि में प्राक्कलित प्राप्तियों के दुगने से अधिक नहीं हों ;
- राज्य सरकार राज्य अर्थव्यवस्था और सापेक्ष राजवित्तीय युक्ति के लिए संभाव्यताएं बताते हुए वार्षिक विवरण लाना सुनिश्चित करेगी ;
- सरकार, पब्लिक सैक्टर और सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या और सापेक्ष वेतन का ब्यौरा देते हुए बजट के साथ विशेष विवरण लाना सुनिश्चित करेगी।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्य, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी 'ऋण समेकन एवं ऋण राहत सुविधा' के दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये गये थे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव एवं छोटे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के कारण राज्यों की योजना के वित्त पोषण में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्र सरकार ने 'ऋण समेकन एवं ऋण राहत सुविधा' की शर्तों में शिथिलता देते हुए राज्यों को यह सलाह दी है कि तदनुसार वे अपने एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित राजवित्तीय लक्ष्यों में परिवर्तन कर लें। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008-09 में राज्यों को राजस्व घाटा रखने एवं राजकोषीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक रखने की अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकार ने चालू वर्ष की भांति आगामी वर्ष हेतु भी केन्द्र सरकार से राजवित्तीय लक्ष्यों में आवश्यक छूट प्रदान करने का निवेदन किया है। इस पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो गया है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत राजवित्तीय लक्ष्यों में आवश्यक संशोधन किया जाये। केन्द्र सरकार से आगामी वर्ष हेतु मार्गनिर्देश प्राप्त होने के पश्चात परिवर्तित बजट के समय एफ.आर.बी.एम. एक्ट में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किया जायेगा।

7. अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य सरकार वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, एक विवरण में निम्नलिखित प्रकट करेगी :-
- किसी परिवर्तन की दशा में, विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या संभवतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;
  - भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त उधारों, अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्टों का ब्योरा ;
  - आगामी दस वर्षों के लिये जीवनांकिक आधार पर संगणित प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व :
- परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वित्तीय वर्षों तक पेंशन दायित्व, जीवनांकिक आधार पर संगणित करने के बजाय, वृद्धि दरों के रुख के आधार पर पूर्वानुमान लगाकर प्राक्कलित किये जा सकेंगे।*
8. अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति :- दिनांक 3 मई, 2005 को अधिनियम लागू होने से पूर्व राज्य की वित्तीय स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार थी :
- राजकोषीय घाटे की दृष्टि से उन राज्यों को गंभीर राजवित्तीय दबाव में माना जाता है जहां राज्य का ऋणभार कुल राजस्व प्राप्तियों के 300 प्रतिशत से अधिक हो। वर्ष 2002-03 में यह अनुपात 351 प्रतिशत हो गया था।
  - वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 31.23 एवं 30.07 प्रतिशत था।
  - वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्रमशः 6.26 तथा 6.90 प्रतिशत था।
9. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 3 के अन्तर्गत मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण प्ररूप रा - 1 में दिया जाना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है :-

**क. राजवित्तीय संकेतक-चल लक्ष्य :**

	2008-09 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	2008-09 पुनरीक्षित प्राक्कलन (पु.प्रा.)	2009-10 बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)	अगले दो वर्ष के लिए लक्ष्य	
				2010-11	2011-12
1. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(-)/अधिशेष	3.59	-0.82	-2.40	0.89	1.86
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजवित्तीय घाटा	2.74	3.50	3.48	3.00	2.94
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्व	43.16	43.91	43.21	41.57	40.06
4. समेकित निधि के अधीन प्राक्कलित प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण और जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूति	159	157	158	162	163

ख. राजवित्तीय संकेतकों में अन्तर्निहित धारणाएं

	वृद्धि दर 2007-08 (वास्तविक)	वृद्धि दर 2008-09 (पु.प्रा.)	वृद्धि दर 2009-10 (ब.प्रा.)	परियोजित वृद्धि दर		
				2010-11	2011-12	
<b>I</b>	राजस्व प्राप्तियां					
1.	केन्द्रीय करों में हिस्सा	26.14	5.50	6.90	12.00	12.00
2.	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	14.36	14.01	10.62	10.25	10.28
	क. बिक्री कर	15.33	17.41	10.22	11.00	11.00
	ख. आबकारी	13.45	12.18	13.58	12.00	12.00
	ग. स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण	19.38	1.98	4.76	5.00	5.00
	घ. मोटरयान कर	13.75	3.06	8.33	8.00	8.00
	ङ. प्रवेश कर	-35.13	18.30	18.42	10.00	10.00
	च. विद्युत शुल्क	13.25	9.41	10.64	10.00	10.00
	छ. भू-राजस्व	33.06	-6.59	72.38	10.00	10.00
	ज. मनोरंजन और विलासिता कर	29.13	1.85	16.67	15.00	15.00
	झ. अन्य कर (भूमि एवं भवन कर/भूमि कर)	-4.24	291.54	5.00	10.00	10.00
3.	गैर-कर राजस्व	18.17	-5.28	31.92	10.98	11.12
	क. जल प्रदाय और स्वच्छता	11.87	12.66	8.70	10.00	10.00
	ख. खनन	2.51	3.13	14.62	10.00	10.00
	ग. ब्याज प्राप्तियां	3.70	6.94	-0.26	5.00	5.00
	घ. अन्य (पेट्रोलियम सहित)	54.33	-23.53	88.60	15.00	15.00
4.	सहायता-अनुदान	29.83	30.21	2.47	5.00	5.00
	क. गैर-आयोजना अनुदान	-13.07	30.23	-9.52	5.00	5.00
	ख. योजना अनुदान	56.72	26.15	-4.47	5.00	5.00
	ग. के.प्रा.यो. अनुदान	44.61	33.61	13.81	5.00	5.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां (1 से 4)	20.27	11.70	10.51	9.88	9.97
<b>II</b>	गैर-योजना राजस्व व्यय	13.43	19.20	15.99	6.57	9.56
	(i) ब्याज संदाय (ऋण सेवा)	4.23	5.02	10.99	10.00	10.00
	(ii) पेंशन	21.17	48.61	19.52	5.68	10.64
	(iii) आपदा राहत	-45.98	28.21	1.57	10.00	10.00
	(iv) सामान्य शिक्षा	9.88	37.35	23.14	5.00	10.00
	(v) चिकित्सा और स्वास्थ्य	6.77	45.08	26.05	5.00	10.00
	(vi) जल प्रदाय एवं स्वच्छता	3.87	27.38	11.54	10.00	10.00
	(vii) ऊर्जा	106.63	-60.31	8.83	10.00	10.00
	(viii) सिंचाई	6.06	10.53	6.33	5.00	8.00
	(ix) अन्य	14.52	37.85	14.09	5.00	8.00
<b>III</b>	योजना राजस्व व्यय	40.68	8.40	-6.20	5.00	5.00
<b>IV</b>	के.प्रा.यो. राजस्व व्यय	16.81	56.57	-3.33	5.00	5.00
<b>V</b>	पूँजीगत व्यय	36.31	-8.69	5.67	16.00	16.00
<b>VI</b>	उधार और अग्रिम (शुद्ध)	641.88	-118.79	-58.10	10.00	10.00
<b>VII</b>	सकल राज्य देशी उत्पाद	14.16	12.99	10.00	12.00	12.00

**ग. सहनीयता का निर्धारण (Assessment of sustainability)**

1. अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कुल व्यय और राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो। वर्ष 2008-09 में कुल कर राजस्व प्राप्तियां, जी.एस.डी.पी. का 12.57 प्रतिशत रहना अनुमानित है और वर्ष 2011-12 तक इसके 12.24 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वर्ष 2008-09 के आय व्ययक अनुमानों में जी.एस.डी.पी. का 7.58 प्रतिशत रहा है और वर्ष 2011-12 में यह 7.68 प्रतिशत रहना अनुमानित है। चालू वर्ष के आय व्ययक अनुमानों में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 5.14 प्रतिशत है तथा यह वर्ष 2011-12 में 4.55 प्रतिशत अनुमानित है। गैर कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा करने का प्रयास किया जायेगा ताकि उन्हें सहनीय बनाया जा सके। वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान दायित्वों को सीमित रखना राजवित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है। ऊर्जा क्षेत्र पर दिये जा रहे अनुदान को व्यावहारिक स्तर पर रखने का प्रयास किया जायेगा। ऋण समेकन और राहत सुविधा ने ब्याज राहत प्रदान की है। वर्ष 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 12.99 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 में 10 प्रतिशत एवं 2010-11 व 2011-12 में 12 प्रतिशत अनुमानित है। तथापि सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान मानसून की परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं।
2. उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बाजार से प्राप्त किये गये ऋण भी शामिल हैं। राज्य ने वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 में राजस्व आधिक्य प्राप्त कर लिया था। तथापि पैरा 6 में वर्णित परिस्थितियों के कारण वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों में एवं 2009-10 के बजट अनुमानों में पुनः राजस्व घाटा होना संभावित है। वर्ष 2010-11 से पुनः राज्य राजस्व अधिशेष की स्थिति में आ सकेगा।
3. आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन का दायित्व प्ररूप प्र-8 में दिया गया है। प्रतिवर्ष संभावित सेवानिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पेंशन दायित्वों को प्राक्कलित किया गया है।

**घ. राज्य अर्थव्यवस्था की संभाव्यता के ब्यौरे वाला वार्षिक विवरण**

1. **राज्य अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण:** राज्य की अर्थव्यवस्था का आकलन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के प्रचलित तथा स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। वर्ष 2008-09 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 1,91,990 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्य (1999-2000) पर 1,32,904 करोड़ रुपये है। स्थिर मूल्य (1999-2000) पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 20,384 रुपये था। वर्ष 1999-2000 में राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 4.63 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 में घटकर 4.03 प्रतिशत रह गया।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। वर्ष 1999-2000 एवं 2007-08 में अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना तालिका 1.1 में दर्शाई गई है जो अर्थव्यवस्था में बदलाव को प्रकट करती है। अर्थव्यवस्था के विश्लेषण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 1999-2000 को जी.एस.डी.पी. हेतु आधार वर्ष चुना गया है। कृषि क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। उद्योग क्षेत्र में खनन, पंजीकृत विनिर्माण, अपंजीकृत विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस तथा जलप्रदाय सम्मिलित हैं। सेवा क्षेत्र के अर्न्तगत रेल्वे, अन्य परिवहन, भण्डारण, संचार, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपदा, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएँ आती हैं।

तालिका 1.1

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	1999-2000	2007-2008
कृषि	29.67 (24.99)	27.03 (17.80)
उद्योग	28.18 (25.32)	29.43 (26.47)
सेवा	42.15 (49.69)	43.54 (55.73)

नोट:- कोष्ठक के आंकड़े अखिल भारतीय हैं।

वर्ष 2007-08 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का अंशदान 27.03 प्रतिशत था जो अखिल भारतीय स्तर 17.80 प्रतिशत से अधिक है। उद्योग क्षेत्र का योगदान 29.43 प्रतिशत देश के अंशदान 26.47 प्रतिशत से अधिक है, परन्तु सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 43.54 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर के 55.73 प्रतिशत से काफी कम है।

## 2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए अच्छा मानसून होने अथवा नहीं होने का सकल घरेलू उत्पाद पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के दौरान स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5.93 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय स्तर के 7.28 प्रतिशत से कम है।

वर्ष 2007-08 में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर 1,69,919 करोड़ रुपये तथा स्थिर मूल्य पर यह 1,25,997 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2006-07 की तुलना में क्रमशः 14.15 प्रतिशत तथा 7.11 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

### कृषि सैक्टर

सामान्यतः स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी अखिल भारतीय स्तर से अधिक रही है। वर्ष 1999-2000 से 2007-08 के दौरान कृषि क्षेत्र में 8.31 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के दौरान यह 8.54 प्रतिशत थी।



### औद्योगिक सैक्टर

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007-08 के दौरान इस सैक्टर में 6.08 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के दौरान यह 6.09 प्रतिशत थी।

### सेवा सैक्टर

वर्ष 1999-2000 से 2007-08 में इस सैक्टर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.92 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 1999-2000 से 2006-07 के दौरान यह 5.60 प्रतिशत थी।

सामान्यतः राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन से प्रभावित होती है। राजस्थान में कृषि सदैव वर्षा के अभाव से प्रभावित रही है जो मानसून की प्रकृति पर निर्भर है। राज्य का उत्तरी-पश्चिमी भाग, जो सम्पूर्ण राज्य का लगभग 61 प्रतिशत है, या तो मरू या अर्द्ध मरूस्थली है जो जल एवं कृषि आवश्यकता हेतु पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहता है। राज्य में कुल फसल क्षेत्र, मानसून के प्रभाव से वर्ष दर वर्ष घटता-बढ़ता है, वर्ष 2007-08 में यह लगभग 222 लाख हैक्टेयर रहा।

वर्ष 2008-09 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर 1,91,990 करोड़ रुपये एवं 1,32,904 करोड़ रुपये हैं जो गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.99 एवं 5.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 6.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उद्योग क्षेत्र में 3.21 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 6.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 15.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उद्योग क्षेत्र में 11.21 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 12.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### 3 सरकार का वित्त सर्वेक्षण प्राप्तियां

- 3.1 राज्य की अधोसंरचना के विकास हेतु किया गया लोक निवेश, राज्य की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है और यह क्षमता राज्य की राजस्व वृद्धि की संभावनाओं में परिलक्षित होती है। मध्यमकाल में राज्य की राजवित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाना आवश्यक है, ताकि राज्य के विकास व्यय में वृद्धि हो सके एवं अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार किया जा सके।
- 3.2 सरकार की कुल प्राप्तियां, राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखों की शुद्ध प्राप्तियों से निर्मित होती हैं। राजस्व प्राप्तियों, लोक ऋण तथा उधार वसूली से मिलकर राज्य की संचित निधि बनती है। वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 43.29 प्रतिशत तथा 83.43 प्रतिशत (तालिका 1.2) के मध्य परिवर्तित होता रहा है।

**तालिका 1.2**  
**राज्य की कुल प्राप्तियां**

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	लोक ऋण	उधार वसूली	अन्य प्राप्तियां	संचित निधि	शुद्ध लोक लेखा	कुल योग	राजस्व प्राप्तियां	
								(संचित निधि से प्रतिशत)	(कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)
2003-04	15423.85	18604.48	158.98	4.68	34191.99	1436.96	35628.95	45.11	43.29
2004-05	17763.59	11791.40	124.63	0.00	29679.62	911.21	30590.83	59.85	58.07
2005-06	20839.19	5495.29	237.61	0.81	26572.90	853.20	27426.10	78.42	75.98
2006-07	25592.18	4222.14	513.90	0.00	30328.22	1800.14	32128.36	84.38	79.65
2007-08	30780.62	5063.34	1780.73	1.16	37625.85	-730.45	36895.40	81.81	83.43

- 3.3 राजस्व प्राप्तियों में राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां तथा केन्द्रीय हस्तांतरण आते हैं। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का निर्धारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। बारहवें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 5.609 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 5.683 प्रतिशत अंश निश्चित किया है, जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा क्रमशः 5.473 प्रतिशत तथा 5.544 प्रतिशत अंश निश्चित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशें आनी शेष हैं, जो कि 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी होंगी। राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है।

**तालिका 1.3**  
**राजस्व प्राप्तियों की सरंचना**

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियां		केन्द्रीय हस्तांतरण		कुल राजस्व	प्रतिशत वृद्धि (पूर्व वर्ष से)
	कर	गैर कर राजस्व	कर	अनुदान		
2003-04	7246.19	2071.64	3602.21	2503.81	15423.85	17.90
2004-05	8414.82	2146.15	4305.61	2897.01	17763.59	15.17
2005-06	9880.23	2737.67	5300.08	2921.21	20839.19	17.31
2006-07	11608.24	3430.61	6760.37	3792.96	25592.18	22.80
2007-08	13274.73	4053.93	8527.60	4924.36	30780.62	20.27

**राज्य का स्वयं का कर राजस्व**

- 3.4 राज्य के कर राजस्व में गत चार वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें 16.34 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर (Annual Average Compound Growth Rate) से वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे तालिका 1.4 में दर्शाया गया है। इस वृद्धि दर में पैरा 6 में वर्णित परिस्थितियों के कारण कुछ कमी आना स्वाभाविक है। फिर भी राजकोषीय समेकन की दृष्टि से आगामी वर्षों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में यथा संभव वृद्धि के प्रयास किये जायेंगे।

**तालिका 1.4**  
**राज्य के कर राजस्व में वृद्धि**

(रुपये करोड़ में)

स्वयं का कर राजस्व	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	चक्रवृद्धि वृद्धि दर (प्रतिशत)
व्यवसाय कर एवं सेवा कर	20.46	1.84	0.26	-	-	-88.73
भू-राजस्व	71.44	68.86	84.30	116.71	155.29	21.42
पंजीयन एवं मुद्रांक	611.77	817.83	1031.80	1293.68	1544.35	26.05
अन्य कर (भूमि एवं भवन कर / भूमिकर)	11.99	1.15	0.48	52.92	51.08	43.67
राज्य आबकारी	1163.15	1276.07	1521.81	1591.09	1805.12	11.61
बिक्री कर	3985.43	4797.53	5593.64	6720.71	7750.74	18.09
वाहन पर कर	904.31	817.21	908.18	1023.61	1164.40	6.52
प्रवेश कर	150.50	144.01	236.71	247.60	160.61	1.64
विद्युत शुल्क	280.29	442.76	471.35	515.88	584.23	20.16
मनोरंजन एवं विलासिता कर	46.85	47.56	31.70	46.04	58.91	5.89
<b>योग</b>	<b>7246.19</b>	<b>8414.82</b>	<b>9880.23</b>	<b>11608.24</b>	<b>13274.73</b>	<b>16.34</b>

- 3.5 बिक्री कर का, राज्य के कर राजस्व में 58.39 प्रतिशत योगदान है। बिक्री कर में, वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक, चार वर्षों में, 18.09 प्रतिशत चक्रवृद्धि वृद्धि रही है। पंजीयन एवं मुद्रांक में 26.05 प्रतिशत चक्रवृद्धि वृद्धि हुई है। व्यवसाय कर तथा भूमि एवं भवन कर को समाप्त करने के कारण इन करों की वसूली में वर्ष 2005-06 तक कमी दर्शित हो रही है। वर्ष 2006-07 में भूमिकर लागू किये जाने के फलस्वरूप वृद्धि दर्शित हो रही है।

**राज्य का गैर कर राजस्व**

- 3.6 राज्य के गैर कर राजस्व में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है (तालिका 1.5)। खनन क्षेत्र से राजस्व वसूली उत्साहजनक रही है। पेयजल से प्राप्त राजस्व में अधिक वृद्धि नहीं हुई है और यह इस सेवा के संधारण व्यय से कम है।

**तालिका 1.5**  
**राज्य के गैर कर राजस्व के घटक**

(रुपये करोड़ में)

गैर कर राजस्व	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
ब्याज प्राप्तियां	685.12	754.94	990.21	1072.72	1112.43
जल प्रदाय एवं स्वच्छता	146.30	164.13	180.39	182.49	204.16
वन	39.53	39.41	40.07	45.24	58.30
सिंचाई (मुख्य, मध्यम व लघु)	61.46	82.57	65.21	75.94	71.52
खनन	513.70	645.35	814.08	1196.52	1226.61
अन्य	625.53	459.75	647.71	857.70	1380.91
<b>योग</b>	<b>2071.64</b>	<b>2146.15</b>	<b>2737.67</b>	<b>3430.61</b>	<b>4053.93</b>

**व्यय**

- 3.7 लोक व्यय के माध्यम से सरकार, राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। लोक व्यय को आयोजना तथा गैर आयोजना भिन्न

मदों में विभाजित किया जाता है। यह मान्यता है कि आयोजना व्यय से आर्थिक विकास को गति मिलती है। साथ ही प्लान स्कीम की समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक है ताकि योजनाओं की सामयिक सार्थकता सुनिश्चित की जा सके। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का आवर्ती व्यय, आयोजना भिन्न व्यय में हस्तान्तरित किया जाता है।

- 3.8 गत पाँच वर्षों (2003-04 से 2007-08) में आयोजना व्यय, 21.41 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से और गैर आयोजना व्यय 11.01 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से बढ़ा है (तालिका 1.6)।

**तालिका 1.6**  
**आयोजना तथा गैर आयोजना व्यय**

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आयोजना व्यय (राज्य बजट से)	वृद्धि (%)	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	आयोजना भिन्न व्यय (ऋणों के भुगतान को छोड़कर)	वृद्धि (%)	कुल व्यय	वृद्धि (%)	कुल व्यय में आयोजना व्यय का प्रतिशत
2003-04	5298.12	50.82	913.45	16743.07	12.34	22954.64	18.81	23.08
2004-05	5871.72	10.83	891.30	17271.18	3.15	24034.20	4.70	24.43
2005-06	6566.62	11.83	1201.01	18460.25	6.88	26227.88	9.13	25.04
2006-07	7025.28	6.98	1740.08	21310.45	15.44	30075.81	14.67	23.36
2007-08	8892.36	26.58	2095.00	24983.52	17.24	35970.88	19.60	24.60

- 3.9 लोक व्यय का वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय में भी किया जाता है। पूंजीगत व्यय, मुख्यतः परिसम्पत्तियों के सृजन और निवेश को दर्शाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये। वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 के दौरान आयोजना पूंजीगत व्यय में 19.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- 3.10 वर्ष 2007-08 के दौरान वेतन भुगतान का व्यय, गैर आयोजना राजस्व व्यय का करीब 30.67 प्रतिशत रहा है और इसमें वर्ष 2006-07 की तुलना में 10.36 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है (तालिका 1.7)।

**तालिका 1.7**  
**गैर आयोजना राजस्व व्यय की संरचना**

(रुपये करोड़ में)

गैर आयोजना राजस्व व्यय	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
वेतन	5283.03	5588.90	6211.65	6667.08	7357.77
पेंशन	1841.96	1626.06	1650.63	2116.24	2564.20
ब्याज	4777.15	5172.00	5210.20	5701.82	5942.99
सहायतार्थ अनुदान	1646.96	2129.61	2594.35	3022.37	4987.82
अन्य गैर आयोजना राजस्व व्यय	3068.02	2647.66	2700.85	3646.17	3141.20
<b>योग</b>	<b>16617.12</b>	<b>17164.23</b>	<b>18367.68</b>	<b>21153.68</b>	<b>23993.98</b>

## लोक ऋण

- 3.11 31 मार्च, 2009 तक राज्य का लोक ऋण 59260.02 करोड़ रुपये अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.06 प्रतिशत होना अनुमानित है। लोक ऋण की संरचना तालिका 1.8 में दर्शायी गई है :

तालिका 1.8  
लोक ऋण की संरचना

(रुपये करोड़ में)

स्रोत/ वर्ष	31.3.2007 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2008 की स्थिति	कुल ऋण का प्रतिशत	31.3.2009 की स्थिति (संशोधित अनु.)	कुल ऋण का प्रतिशत
बाजार से उधार	16071.43	31.82	19304.23	35.93	24860.23	41.95
वित्तीय संस्थाएं	2089.05	4.14	2346.24	4.37	2741.35	4.63
एन.एस.एस.एफ.	24425.62	48.36	24202.94	45.05	23768.90	40.11
अन्य (बॉन्ड)	221.59	0.44	184.71	0.35	147.83	0.25
अर्थोपाय अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक से)	-	-	-	-	-	-
अर्थोपाय विशेष अग्रिम	59.21	0.12	-	-	-	-
केन्द्र से ऋण	7636.56	15.12	7682.87	14.30	7741.71	13.06
<b>योग</b>	<b>50503.46</b>	<b>100.00</b>	<b>53720.99</b>	<b>100.00</b>	<b>59260.02</b>	<b>100.00</b>

- 3.12 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि दिनांक 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा दिनांक 31.03.2005 को बकाया केन्द्रीय ऋण समेकित किये जायें और उसे 20 वर्षों के लिए पुनः निर्धारित किया जाये। इस ऋण पर 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर लागू होगी। 31 मार्च, 2005 को (31.03.2004 तक अनुबंधित) केन्द्र सरकार के प्रति बकाया ऋण 6174.06 करोड़ रुपये था। केन्द्र सरकार द्वारा यह ऋण समेकित किया गया है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में ऋण के पुनर्भुगतान में 755.11 करोड़ रुपये और ब्याज के भुगतान में 831.35 करोड़ रुपये की बचत अनुमानित है। वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में समेकित ऋण के पुनर्भुगतान की राशि 308.70 करोड़ रुपये का प्रति वर्ष अपलेखन किया गया।

## ऋणों की अदला-बदली

- 3.13 केन्द्र सरकार से लिए गये ऋण की औसत लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था में घटी हुई ब्याज दरों का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विभिन्न ऋणों की अदला बदली के परिणामस्वरूप राज्य के ऋण की औसत लागत, वर्ष 2004-05 के 8.60 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2007-08 में 7.70 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2002-03 में 1033.54 करोड़ रुपये के केन्द्रीय सरकार के ऋण, जिनकी ब्याज दर 14.5 से 15 प्रतिशत थी, को बाजार से ऋण उगाह कर तथा नये अल्प बचत ऋणों से प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2003-04 में 1928.37 करोड़ रुपये के ऋण, जिनकी ब्याज दरें 14.5 प्रतिशत थी को कम ब्याज दर के बाजार ऋण एवं अल्प बचत ऋणों से अदला-बदली की गई। इसी तरह वर्ष 2004-05 में 2836.46 करोड़ रुपये के ऋण, जिनकी ब्याज दर 12.5 से 14.5 प्रतिशत थी की सस्ते ऋणों से अदला-बदली की गई। इसी तरह वर्ष 2004-05 में 891.54 करोड़ रुपये के नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋण की भी अदला-बदली की गई। ऋणों की अदला-बदली से प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड़ रुपये की ब्याज भुगतान में बचत अनुमानित है।

#### 4. संभाव्यता

सामान्यतः राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि उत्पादन से प्रभावित होती है। राजस्थान में कृषि सदैव वर्षा के अभाव से प्रभावित रही है जो मानसून की प्रकृति पर निर्भर रहती है। राज्य का 'उत्तरी-पश्चिमी' भाग, जो सम्पूर्ण राज्य का लगभग 61 प्रतिशत है, या तो मरू या अर्द्ध मरूस्थल है, जल एवं कृषि आवश्यकता हेतु पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहता है। राज्य में कुल फसल क्षेत्र मानसून के प्रभाव से वर्ष दर वर्ष घटता-बढ़ता है, वर्ष 2007-08 में यह लगभग 222 लाख हैक्टेयर रहा।

वर्ष 2007-08 के लिये राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर 169919 करोड़ रुपये एवं 125997 करोड़ रुपये हैं जो क्रमशः 14.15 एवं 7.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 6.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में 6.01 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 8.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2008-09 के लिए राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर क्रमशः 191990 करोड़ रुपये एवं 132904 करोड़ रुपये हैं जो क्रमशः 12.99 एवं 5.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। कृषि सैक्टर में वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में प्रचलित मूल्य तथा स्थिर मूल्य (वर्ष 1999-2000) पर क्रमशः 15.95 प्रतिशत तथा 6.12 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार औद्योगिक सैक्टर में वर्ष 2008-09 में वर्ष 2007-08 की तुलना में प्रचलित मूल्य तथा स्थिर मूल्य (वर्ष 1999-2000) पर क्रमशः 11.21 प्रतिशत एवं 3.21 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। सेवा सैक्टर में वर्ष 2008-09 में गत वर्ष की तुलना में प्रचलित मूल्य तथा स्थिर मूल्य में क्रमशः 12.50 प्रतिशत तथा 6.62 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है।

#### सारणी-1

#### चयन आर्थिक समष्टिभाव और राजवित्तीय संकेतकों के रुख

#### चयन आर्थिक समष्टिभाव

(रुपये करोड़ में)

I	आर्थिक समष्टिभाव संकेतक	2006-07	2007-08	2008-09
<b>I</b>	<b>फैक्टर लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद</b>			
क	चालू कीमत पर	148849	169919	191990
ख	1999-2000 की कीमत पर	117630	125997	132904
<b>II</b>	<b>कृषि क्षेत्र का योगदान</b>			
क	चालू कीमत पर	37961 (25.50)	44199 (26.01)	51249 (26.69)
ख	1999-2000 की कीमत पर	31917 (27.13)	34056 (27.03)	36141 (27.19)
<b>III</b>	<b>औद्योगिक क्षेत्र का योगदान</b>			
क	चालू कीमत पर	47029 (31.60)	53696 (31.60)	59712 (31.10)
ख	1999-2000 की कीमत पर	34982 (29.74)	37085 (29.43)	38274 (28.80)
<b>IV</b>	<b>सेवा क्षेत्र का योगदान</b>			
क	चालू कीमत पर	63859 (42.90)	72024 (42.39)	81029 (42.21)
ख	1999-2000 की कीमत पर	50731 (43.13)	54856 (43.54)	58489 (44.01)

कोष्ठक में लिखे अंक प्रतिशत योगदान हैं।

राजवित्तीय संकेतकों के रुख

(रुपये करोड़ में)

II	सरकार का वित्त	2007-08 (वास्तविक लेखे)	2008-09 के लिए बजट प्राक्कलन	2008-09 के लिए पु.प्रा.	2009-10 के लिए बजट प्राक्कलन	प्रतिशत वृद्धि / कमी(-)	
						पूर्व वर्ष से चालू वर्ष	चालू वर्ष से आगामी वर्ष
1.	राजस्व प्राप्तियां (2+3)	30780.62	32986.25	34383.18	37995.63	11.70	10.51
2.	कर राजस्व (2.1+2.2)	21802.33	24439.71	24131.29	26359.96	10.68	9.24
2.1	स्वयं का कर राजस्व	13274.73	14562.28	15134.29	16742.29	14.01	10.62
2.2	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	8527.60	9877.43	8997.00	9617.67	5.50	6.90
3.	गैर कर राजस्व (3.1+3.2)	8978.29	8546.54	10251.89	11635.67	14.19	13.50
3.1	राज्य का स्वयं का गैर कर राजस्व	4053.93	3591.17	3839.91	5065.50	-5.28	31.92
3.2	केन्द्रीय अनुदान	4924.36	4955.37	6411.98	6570.17	30.21	2.47
4.	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	6114.78	8078.91	9250.81	10432.53	51.29	12.77
5.	उधारों की वसूली	1780.73	97.33	94.48	102.28	-94.69	8.26
6.	गैर ऋण पूँजीगत प्राप्ति	1.16	0.00	0.00	0.00	-100.00	
7.	लोक ऋण और अन्य दायित्व	4332.89	7981.58	9156.33	10330.25	111.32	12.82
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	36895.40	41065.16	43633.99	48428.16	18.26	10.99
9.	गैर-योजना व्यय	24983.52	25708.75	28586.08	32510.91	14.42	13.73
10.	राजस्व लेखा	23993.98	25517.48	28600.53	33172.51	19.20	15.99
	जिसमें है :-						
	(क) ब्याज संदाय	5942.99	6440.52	6241.56	6927.58	5.02	10.99
	(ख) सहायतार्थ अनुदान	4987.82	3932.46	4350.75	4713.21	-12.77	8.33
	(ग) मजदूरी और वेतन	7578.80	9096.12	10692.86	13554.91	41.09	26.77
	(घ) पेंशन संदाय	2564.20	3000.81	3810.53	4554.40	48.61	19.52
11.	पूँजीगत लेखा	944.28	16.27	-195.69	-671.75	-120.72	243.27
12.	उधार और अग्रिम	45.26	10.00	16.24	10.15	-64.12	-37.50
13.	आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	165.00	165.00	0.00		-100.00
14.	योजना व्यय (14.1+14.2+14.3)	8892.36	10015.48	9694.01	9643.39	9.02	-0.52
14.1	राजस्व लेखा	4094.23	5119.23	4438.27	4163.19	8.40	-6.20
14.2	पूँजीगत लेखा	4576.17	4849.00	4941.07	5302.85	7.97	7.32
14.3	उधार और अग्रिम	221.96	47.25	314.67	177.35	41.77	-43.64
15.	के. प्रा. यो. व्यय	2095.00	2626.25	2911.75	3299.15	38.99	13.30
15.1	राजस्व लेखा	1039.43	1166.40	1627.40	1573.13	56.57	-3.33
15.2	पूँजीगत लेखा	1035.10	1407.13	1240.25	1693.70	19.82	36.56
15.3	उधार और अग्रिम	20.47	52.72	44.10	32.32	115.44	-26.71
16.	कुल व्यय (9+14+15)	35970.88	38350.48	41191.84	45453.45	14.51	10.35
17.	राजस्व व्यय (10+14.1+15.1)	29127.64	31803.11	34666.20	38908.83	19.01	12.24
18.	पूँजीगत व्यय (11+14.2+15.2)	6555.55	6272.40	5985.63	6324.80	-8.69	5.67
19.	राजस्व घाटा/आधिक्य (1-17)	1652.98	1183.14	-283.02	-913.20	-117.12	222.66
20.	राजवित्तीय घाटा [16-(1+5+6)]	-3408.37	-5266.90	-6714.18	-7355.54	96.99	9.55
21.	प्राथमिक घाटा/आधिक्य [20-10(क)]	2534.62	1173.62	-472.62	-427.96	-118.65	-9.45

ड. सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या और वेतन का ब्यौरा देने वाला विवरण :

सारणी- 2

सरकारी विभागों, पब्लिक सैक्टर उद्यमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं इत्यादि में नियोजन और वेतन व्यय

क्र. सं.		कर्मचारियों की संख्या (हजारों में)		वेतन व्यय (रुपये करोड़ में)	
		2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
1.	सरकारी विभाग	625 <sup>a</sup>	618 <sup>a</sup>	7774 <sup>□</sup>	11060 <sup>□</sup>
2.	पब्लिक सैक्टर उपक्रम	86 <sup>**</sup>	87 <sup>**</sup>	1381 <sup>**</sup>	1816 <sup>**</sup>
3.	सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित संस्थाएं	30	31	483	654
4.	पंचायतीराज संस्थाएं	82	80	1277	1815
5.	शहरी स्थानीय निकाय	36	35	448	627

\* स्वीकृत पदों के अनुसार।

<sup>a</sup> 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

\*\* ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

□ कतिपय वर्कचार्ज कर्मचारियों का वेतन सीधे निर्माण कार्यों पर प्रभारित होता है, उक्त व्यय में सम्मिलित नहीं है।

10. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 4 के अन्तर्गत राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण प्ररूप रा - 2 में दिया जाना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है :-

(क) **राजवित्तीय नीति सर्वेक्षण** - राज्य की राजवित्तीय नीति का उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना तथा समाज के कमजोर तबके को उपयुक्त सुरक्षा कवच प्रदान करना है ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें तथा सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं आयोजना भिन्न राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में राजवित्तीय पिछड़ेपन को दूर करने हेतु शासन ने कर आधार एवं कर वसूली को बढ़ाने का प्रयास किया है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2008-09 में 11.70 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2007-08 में 14.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 में 14.01 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। गैर आयोजना राजस्व व्यय में वर्ष 2007-08 में 13.43 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसमें 19.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। गैर आयोजना राजस्व व्यय की वृद्धि दर के बढ़ने का मुख्य कारण छटे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण वेतन भत्तों में वृद्धि होना है। राज्य का राजस्व घाटा, जो वर्ष 2004-05 में 2142.60 करोड़ रुपये था, घटकर वर्ष 2005-06 में 660.02 करोड़ रुपये हो गया। तत्पश्चात वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में यह घाटा समाप्त होकर क्रमशः 638.38 करोड़ रुपये एवं 1652.98 करोड़ रुपये के राजस्व आधिक्य में परिवर्तित हो गया है। पैरा 6 में वर्णित परिस्थितियों के कारण वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों में एवं वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा संभावित है।



(ख) आगामी वर्ष के लिए राजवित्तीय नीति – चूंकि वर्तमान राजवित्तीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। अतः राज्य सरकार द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष में भी लागू किया जायेगा, जिससे राज्य की आय में वृद्धि एवं आयोजना भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित किया जा सकेगा।

- 1 **राजस्व नीति** : सरकार का प्रयत्न रहेगा कि विकास की गति को कम किए बिना राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की जाए। सरकार की मंशा है कि वृहद कर सुधार नीति अपनाये, ताकि कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को बढ़ाया जा सके, कर आधार का विस्तार किया जा सके, कर वसूली का पालन किया जा सके एवं कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। कर संकलन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु संबंधित विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग किया जायेगा।
- 2 **व्यय नीति** : परिव्यय सदैव परिणाम में परिणित हों, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा 'आउटकम बजटिंग' भी वित्तीय वर्ष 2006-07 से लागू किया गया है। इसके फलस्वरूप लोक व्यय के वास्तविक परिणामों का आकलन किया जा सकेगा तथा तदनुसार व्यय की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा सकेगा। इसके साथ ही राजकीय व्यय में सादगी एवं मितव्ययता लाने का भी प्रयास किया जायेगा जिससे अनुत्पादक व्यय में कमी लाई जा सके।
- 3 **उधार और अन्य दायित्व, उधार देना और विनिधान** : ऋण के स्तर को राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य के भीतर सीमित रखा जायेगा। वर्तमान में अल्प बचत ऋण तुलनात्मकरूप से महंगे सिद्ध हो रहे हैं, अतः इन ऋणों की मात्रा यथासंभव घटाते हुए कम ब्याज दर वाले अन्य ऋणों जैसे बाजार ऋण का अधिक उपयोग किया जायेगा। राज्य सरकार का यह भी प्रयास होगा कि प्राप्तियों और व्यय के मध्य दिन प्रतिदिन आधार पर इस प्रकार से संतुलन बनाया जाये, जिससे कि मार्गोपाय अग्रिम अथवा ओवर ड्राफ्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। राज्य सरकार द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा।
- 4 **समाश्रित और अन्य दायित्व** : प्रत्याभूतियां जारी करने हेतु वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। तथापि राजकीय प्रत्याभूतियां जारी करते समय जोखिम को ध्यान में रखते हुए राजवित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम की धारा 6(ग) की पालना सुनिश्चित की जायेगी। विशेष प्रयोजन उपकरण और अन्य समतुल्य उपकरणों, जिसमें प्रतिसंदाय का दायित्व राज्य सरकार पर हो सकता है, से संबंधित व्यवस्था में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। राज्य में गारण्टी विमोचन निधि की व्यवस्था वर्ष 1999-2000 से लागू की हुई है। गारण्टी कमीशन से प्राप्त समस्त शुल्क इस निधि में रखा जाता है। बकाया प्रत्याभूतियों, गारंटी विमोचन निधि में

जमा की जा रही राशि एवं जोखिम भारित प्रत्याभूतियों की सूचना को प्रकटीकरण विवरण पत्र प्र. 2, 3 एवं 4 में दर्शाया गया है।

- 5 **उपयोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण :** गैर कर राजस्व में वृद्धि, सिंचाई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों में उपयोक्ता प्रभारों पर निर्भर करती है। सामान्यतः उपयोक्ता प्रभार गैर कर राजस्व का एक प्रमुख घटक है। उपयोक्ता प्रभारों के निर्धारण में साम्यता तथा भुगतान क्षमता एक मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। अब जब विद्युत दरों के निर्धारण का उत्तरदायित्व राज्य विद्युत नियामक आयोग पर है, राज्य सरकार द्वारा अन्य उपयोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। कई अनुज्ञप्ति शुल्क, आवेदन शुल्क तथा अन्य प्रभार ऐसे हैं, जो पूर्व में नियत किये गये थे, किन्तु उनका काफी समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। ऋणदात्री संस्थाओं एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर यह सुझाव दिये गये हैं कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से इन दरों का पुनरीक्षण किया जाये।

(ग) **आगामी वर्ष के लिए युक्तिक पूर्विकतायें :**

1 अप्रैल, 2006 से नई कर प्रणाली अर्थात वैट लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्य के कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गैर कर राजस्व में बेहतर वसूली तथा विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर दी गई सलाह के संदर्भ में 'यूज़र चार्जस' को युक्तिसंगत बनाने की भी चेष्टा होगी। व्यय पर नियंत्रण करने की दृष्टि से उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का युक्तिसंगत उपयोग करने का यथासंभव प्रयास किया जायेगा। लोक ऋण का प्रबन्धन अगले अनुच्छेद में की गई विवेचना के अनुसार किया जायेगा।

(घ) **नीति परिवर्तनों के लिए मूल आधार :**

बजट के माध्यम से किये जाने वाले व्यय की नीति में प्रमुख बदलाव हालांकि नहीं किया जा रहा है किन्तु एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत गठित 'लोक व्यय पुनर्विलोकन समिति' की अभिशंषा पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में किसी भी स्वायत्तशासी संस्था/बोर्ड/कम्पनी/समिति/न्यास आदि, जिसमें राज्य सरकार का पूंजीविनियोजन 51 प्रतिशत या अधिक है अथवा जिसे राजस्व व्यय की पूर्ती हेतु राज्य सहायता दी जानी है, का गठन राज्य मंत्रीमण्डल के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। लोक ऋण प्रबन्धन की दृष्टि से 'डेट-स्वैप' के माध्यम से महंगे ऋणों की मात्रा में कमी की गई है एवं अल्प बचत ऋणों पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक ऋण व अन्य दायित्वों की वृद्धि दर में कमी आना प्रारम्भ हो गई है, जो कि पूर्व में अधिकतम 25.48 प्रतिशत थी (वर्ष 1998-99) जबकि वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों के अनुसार 8.23 प्रतिशत अनुमानित है। जहां तक सेवाओं की लागत वसूली का प्रश्न है, विषय विशेषज्ञों एवं ऋण देने वाली संस्थाओं का यह सुझाव है कि संचालन एवं संधारण व्यय की पूर्ण वसूली का प्रयास किया जाना चाहिए।

- (ड.) **नीति मूल्यांकन** : वर्तमान राजवित्तीय नीति, अधिनियम के अन्तर्गत निरूपित मापदण्डों के अन्तर्गत है। अधिनियम द्वारा वांछित राजवित्तीय जानकारियां यथासंभव उपलब्ध कराई गई हैं। राजवित्तीय नीति की आवश्यक मान्यतायें (Assumption) ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने से सामान्यतः विश्वसनीय तो हैं परन्तु आंकड़ों के पूर्वानुमान की अपनी सीमाएं होती हैं। एफ.आर.बी.एम. नियमों में प्रावधित सभी आवश्यक प्रकटीकरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

#### IV. प्रकटीकरण विवरण

11. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम 2006 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रकटीकरण विवरण प्ररूप प्र-1 से प्र-8 में दिया जाना अपेक्षित है जो निम्नानुसार है:-

#### चयनित राजवित्तीय संकेतक प्ररूप प्र -1

	मद	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजवित्तीय घाटा	2.01	3.50
2	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा(-)/आधिक्य	5.37	-0.82
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल दायित्व	45.40	43.91
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में बकाया लोक ऋण और जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूति	193.24	193.43
5	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	59.49	54.73
6	सकल राजवित्तीय घाटे के प्रतिशत के रूप में पूंजी परिव्यय	192.34	89.15
7	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	19.31	18.15
8	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में ब्याज का संदाय	20.40	18.00

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्र -2

(करोड़ रुपये में)

संस्था का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रत्याभूतियों की रकम (1-4-2008 को)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (31-12-2008 तक)	वर्ष के दौरान अपमार्जन जिनका अवलंब लिया गया है उनके अतिरिक्त (31-12-2008 तक)	वर्ष के दौरान अवलंब लिया गया (31-12-2008 तक)		31-12-2008 को यथा विद्यमान बकाया	प्रत्याभूति कमीशन या फीस		अभ्युक्तियां
				उन्मोचित	अननुमोचित		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अ - सहकारी संस्थाये :-</b>									
दी राज. स्टेट कॉपरेटिव बैंक लि.	137.98	14.05	64.67			87.36	0.0866	0.0866	
श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि.	0.40					0.40			
राज. राज्य सहकारी आवासन संघ लि.	16.58		1.85			14.73	0.1636	0.1636	
राज. राज्य सहकारी क्रस-विक्रय संघ लि.		200.00	172.60			27.40	0.1218	0.1218	
राज. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.	1299.56	96.10	226.87			1168.79	1.2807	1.2807	
<b>योग - अ</b>	<b>1454.52</b>	<b>310.15</b>	<b>465.99</b>			<b>1298.68</b>	<b>1.6527</b>	<b>1.6527</b>	
<b>ब - सार्वजनिक संस्थाये :-</b>									
राजस्थान आवासन मण्डल	9.70		2.60			7.10	0.0840	0.0840	
राजस्थान वित्त निगम	138.18		10.28			127.90	1.3338	1.3338	
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	8.79	*0.44	0.39			8.84	0.0081	0.0081	
राज. राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन नि.लि.	17.02		4.27			12.75	0.1488	0.1488	
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण नि.लि.	2758.65	1077.79	408.90			3427.54	2.6321	2.6321	
जोधपुर विद्युत वितरण नि.लि.	3389.91	1815.89	380.47			4825.33	4.0032	4.0032	
जयपुर विद्युत वितरण नि.लि.	3844.82	1615.62	302.18			5158.26	4.3478	4.3478	
अजमेर विद्युत वितरण नि.लि.	3941.23	2106.53	323.79			5723.97	4.8248	4.8248	
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन नि.लि.	4064.03	445.00	827.57			3681.46	3.8693	3.8693	
नगर विकास न्यास, कोटा	0.47		0.19			0.28	0.0044	0.0044	
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	9.52		1.44			8.08	0.0642	0.0642	
नगर विकास न्यास, भरतपुर	0.02		0.01			0.01	0.0001	0.0001	
नगर निगम, जयपुर	3.50		1.40			2.10	0.0263	0.0263	
राज. अ.जा. एवं ज.जा. वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	27.87	11.25	8.99			30.13	0.0288	0.0288	
राज.अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	6.40	1.00	0.64			6.76	0.0066	0.0066	
राज.अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.	12.12	3.23	1.05			14.30	0.0008	0.0008	
आवास विकास लि.	81.16	131.00				212.16	1.0419	1.0419	
<b>योग - ब</b>	<b>18313.39</b>	<b>7207.75</b>	<b>2274.17</b>			<b>23246.97</b>	<b>22.4250</b>	<b>22.4250</b>	
<b>स - निजि संस्थाये :-</b>									
मेवाड टेक्सटाइल्स मिल्स लि.	1.49					1.49			
<b>योग - स</b>	<b>1.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>द - अन्य :-</b>									
खारवाल्स	0.31		0.01			0.30			
<b>योग - द</b>	<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>			<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>महायोग (अ+ब+स+द)</b>	<b>19769.71</b>	<b>7517.90</b>	<b>2740.17</b>			<b>24547.44</b>	<b>24.0777</b>	<b>24.0777</b>	

' संस्था द्वारा बकाया ब्याज को मूल में समायोजित किये जाने के कारण

**बकाया जोखिम-भारित प्रत्याभूतियां**  
**प्ररूप प्र -3**

(करोड़ रुपये में)

व्यतिक्रम सम्भाव्यता	जोखिम भार (प्रतिशत)	गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की रकम 31-03-2008	गत वर्ष के अंत में जोखिम भारित बकाया प्रत्याभूतियां 31-03-2008
प्रत्यक्ष दायित्व	100	2.20	2.20
अति जोखिम	75	1500.51	1125.38
मध्यम जोखिम	50	254.85	127.43
निम्न जोखिम	25	18012.15	4503.04
अति निम्न जोखिम	5	-	-
कुल शोध		19769.71	5758.05

**प्रत्याभूतियां मोचन निधि**  
**प्ररूप प्र -4**

(करोड़ रुपये में)

गत वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियां (31.03.08)	गत वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम	प्रत्याभूतियों की रकम जिसका वर्ष के दौरान अवलंब लिया जाना संभावित है	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में परिवर्धन (अनन्तिम)	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूति मोचन निधि में से आहरण (अनन्तिम)	चालू वर्ष के अंत में प्रत्याभूति मोचन निधि में बकाया रकम (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
19769.71	121.99	0.00	17.49	0.00	139.48

**31.12.08 को यथाविद्यमान बकाया कर की मांगों का ब्यौरा**  
**(यथा मांग की गयी किन्तु वसूल नहीं की गयी)**

प्ररूप प्र -5

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	विवरण	1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक	योग
0029	भू-राजस्व	31.50	44.80	6.30	7.65	90.25
0030	पंजीयन एवं मुद्रांक	25.03	47.96	8.58	2.57	84.14
0035	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	208.80	-	-	-	208.80
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	0.08	27.82	155.73	38.61	222.24
0040	बिक्री कर	846.85	627.04	430.90	84.85	1989.64
0041	वाहन कर	9.98	5.89	7.56	5.78	29.21
0042	माल व यात्री कर	168.35	4.89	0.47	0.09	173.80
0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	-	-	-	-	75.44*
0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क					
	मनोरंजन कर	6.75	2.23	0.84	0.64	10.46
	विलासिता कर	1.26	0.20	0.06	-	1.52

टिप्पणी :- बकाया कर की मांगों में विवादित/न्यायिक प्रकरणों के कारण बकाया चल रही मांगें शामिल हैं।

\* :- बकाया का वर्ष-वार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

विहित राजवित्तीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित करने वाले या सम्भाव्यतः प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

प्ररूप प्र -6

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले राजवित्तीय संकेतक	राजवित्तीय संकेतक पर सम्भाव्य प्रभाव	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
चालू वित्तीय वर्ष में लेखा मानकों, नीतियों और पद्धतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।				

प्ररूप प्र -7

क. राज्य सरकार के उधार/अन्य दायित्वों के संघटक :

(करोड़ रुपये में)

प्रवर्ग	बकाया रकम (वित्तीय वर्ष के अंत में)	
	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)
कुल लोक ऋण	53720.99	59260.02
आंतरिक ऋण	46038.12	51518.31
केन्द्रीय सरकार के उधार	7682.87	7741.71
अन्य दायित्व	23416.89	25044.59
भविष्य निधि और बीमा	15422.01	16769.44
आरक्षित निधि और जमा	7994.88	8275.15
कुल दायित्व	77137.88	84304.61

ख. भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्टों का ब्यौरा

	2007-08	2008-09 (31-12-2008 तक)
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	0.1618 करोड़	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम (करोड़ रुपये में)	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के दिनों की संख्या	शून्य	शून्य
ओवर ड्राफ्ट के अवसरों की संख्या	शून्य	शून्य

**टिप्पणी:-** अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट की औसत रकम की संगणना प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को सम्मिलित करते हुए) पर अर्थोपाय अग्रिमों की बकाया रकम को जोड़कर और अप्रैल से रिपोर्ट की कालवधि के दौरान के दिनों की कुल संख्या से भाग देकर की जाती है।

**प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का विवरण**  
**प्ररूप प्र-8**

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	परियोजित पेंशन दायित्व	अभ्युक्तियां (यदि कोई हो)
1	2010-11	4813.05	प्रतिवर्ष संभावित सेवानिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये पेंशन दायित्वों को प्राक्कलित किया गया है।
2	2011-12	5325.05	" "
3	2012-13	6092.05	" "
4	2013-14	6772.05	" "
5	2014-15	7715.05	" "
6	2015-16	8624.05	" "
7	2016-17	9704.05	" "
8	2017-18	10501.05	" "
9	2018-19	11596.05	" "
10	2019-20	12722.05	" "